न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 14/2019 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2019/00214**

1. रामलाल पुत्र छोगा जाति जाट ढ़ाका निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. उदा पुत्र छोगा जाति जाट ढाका निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. पन्नीदेवी पत्नी स्व. पेमाराम
4. कोजाराम
5. शंकरराम
6. रामेश्वर
7. बाबूलाल
8. नेनूराम
9. श्रवणराम

पिसरान पेमाराम जाति मेघवंशी निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार नोखा।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री सीताराम विश्नोई, राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक अपीलांट्स; अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 20.11.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा जिला बीकानेर के निर्णय दिनांक 27.08.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी भूमि रोही दासनू के खसरा नंबर 987/200 तादादी 5.43 हैक्टयर, खसारा नंबर 989/204 तादादी 3.30 हैक्टयर कुल तादादी 8.73 हैक्टयर में स्थित हैं एवं अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी भूमि अन्य खसरा नंबर के साथ खसरा नंबर 190 तादादी 0.32 हैक्टयर, खसरा नंबर 986/200 तादादी 4.54 हैक्टयर में एवं अपीलांट संख्या 3 ता 9 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 221 तादादी 11.61 हैक्टयर में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 27.08.2018 द्वारा अपीलांट्स की उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मुमकिन सड़क दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी भूमि रोही दासनू के खसरा नंबर 987/200 तादादी 5.43 हैक्टयर, खसरा नंबर 989/204 तादादी 3.30 हैक्टयर कुल तादादी 8.73 हैक्टयर में स्थित हैं। अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी भूमि अन्य खसरा नंबर के साथ खसरा नंबर 190 तादादी 0.32 हैक्टयर, खसरा नंबर 986/200 तादादी 4.54 हैक्टयर में एवं अपीलांट संख्या 3 ता 9 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 221 तादादी 11.61 हैक्टयर में स्थित है। अपीलांट्स की भूमि क्रमशः खसरा नंबर 987/200, 190, 986/200, 221 में से कभी कोई रास्ता मौजूद नही था ना ही मौके पर कोई रास्ता ही चल रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा तौर पर प्रदत रिपोर्ट के आधार पर परिपत्र का हवाला देते हुए अपीलांट्स की भूमि में से रास्ता कायम कर दिया, जिसका अदालत मातहत को कोई अधिकार नही था। अपीलांट्स की भूमियों मे से कोई बारहमासी रास्ता नही चल रहा था ना ही चल रहा है इसलिए परिपत्र के अनुसार रास्ता कायम नही किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को नोटिस प्रदान किये बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट्स के पीठ पीछे पारित किया गया होने से अपीलांट्स को आदेश जैर अपील की कभी जानकारी नहीं रही। अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं अपीलांट्स की भूमि मे से रास्ता नही होते हुए भी रास्ता स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट मंजुर फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 खारिज फरमाया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा जो अपीलाधीन आदेश जारी किया हैं वह कटनी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने एवं पटवारी से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त करने एवं सभी प्रकार की नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा ने संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप'6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 द्वारा राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के अनुसरण में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.09.1956 के द्वारा धारा 131, 132 व 136 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नोखा ने आदेश दिनांक 27.08.2018 द्वारा उक्त वादगत खसरा भूमि में स्थित खातेदारी भूमि में गैर मुमकिन रास्ते के अंकन के आदेश जारी कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 मौके एवं तथ्यों की नियमानुसार जांच करने के पश्चात ही पारित किया गया है, जो न्यायाचित हैं। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर